संचिका संख्याः— 08/एन.बी.एफ.सी.—09/2019.....1113...../वि०

बिहार सरकार
वित्त विभाग
संकल्प

पटना दिनांक....11/07/2025

बिहार राज्य कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) नीति, 2025

1 प्रस्तावना

यह मानते हुए कि सतत और समावेशी विकास को बढ़ावा देने में व्यवसायों की महत्वपूर्ण भूमिका है, बिहार सरकार द्वारा कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) नीति, 2025 प्रतिपादित की गई है। यह नीति बिहार के सामने आने वाली विशेष चुनौतियों और अवसरों को संबोधित करने और इससे लोगों की भलाई में योगदान देने के लिए निजी क्षेत्र की क्षमता का सदुपयोग करने का प्रयास करती है। कंपनी अधिनियम 2013 के सिद्धांतों पर आधारित; यह नीति कंपनियों को बिहार की विकासात्मक प्राथमिकताओं के साथ अपनी सीएसआर पहलों को संरेखित करने के लिए एक सहायक ढाँचा प्रदान करती है। यह नीति व्यवसायों को अनुपालन से आगे बढ़ने और साझा मूल्य बनाने और समृद्ध और समतापूर्ण बिहार में योगदान देने के लिए एक रणनीतिक उपकरण के रूप में सीएसआर को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह विकसित बिहार/2047 के व्यापक दृष्टिकोण के साथ संरेखित है और विकसित भारत/2047 के परिकल्पित लक्ष्य में योगदान देता है।

निम्नलिखित मूल मूल्य इस नीति का मार्गदर्शन करते हैं:

- **सामाजिक न्यायः** यह सुनिश्चित करना कि विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों, विशेष रूप से वंचित और कमजोर लोगों तक पहुंचे।

- **स्थिरता:** भावी पीढ़ियों की भलाई के लिए पर्यावरण चेतना और जिम्मेदार संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देना।
- **समावेशिता:** विकास प्रक्रिया में स्थानीय समुदायों सहित सभी हितधारकों के बीच स्वामित्व और भागीदारी की भावना को बढ़ावा देना।
- **पारदर्शिता और जवाबदेही:** स्पष्ट और सहायक व्यवस्थाओं के साथ सीएसआर फंड के सही उपयोग को सुगम और मार्गदर्शित करना।
- **नवाचार:** सामाजिक चुनौतियों का समाधान करने और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए रचनात्मक और प्रभावशाली समाधानों को प्रोत्साहित करना।

इस नीति में एक ऐसे बिहार की परिकल्पना की गई है जहाँ व्यवसाय राज्य की प्रगति में सक्रिय रूप से योगदान देंगे तथा सभी के लिए उज्जवल भविष्य के निर्माण हेतु सरकार, नागरिक समाज और स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर काम करेंगे।

2 दृष्टि

बिहार को सीएसआर निधि के उपयोग में अग्रणी राज्यों में से एक बनाना, जो राज्य के समावेशी और सतत विकास में योगदान दे।

3 मिशन

बिहार के सभी समुदायों को सशक्त बनाना और जिम्मेदार व्यावसायिक प्रथाओं को बढ़ावा देकर तथा प्रभावी सीएसआर पहलों को प्रोत्साहित करके सतत विकास को आगे बढ़ाना, जिससे आजीविका में सुधार हो, सामाजिक कल्याण बढ़े, पर्यावरण की रक्षा हो और वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लाभ के लिए विकास के अन्य सभी पहलुओं की रक्षा हो।

4 नीति अवधि

बिहार राज्य कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) नीति, 2025 अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होगी। उक्त तिथि को इस नीति की प्रभावी तिथि माना जाएगा, जिससे इसके प्रावधान लागू होंगे और यह नीति 5 वर्षों तक प्रभावी रहेगी।

5 परिभाषाएं

i. **"नीति"** से बिहार राज्य कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) नीति, 2025 अभिप्रेत होगा।

ii. **"लागू कंपनी"** से ऐसी कंपनी अभिप्रेत होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(1) में उल्लिखित मानदंडों को पूरा करती है और जिसके द्वारा उसे सीएसआर गतिविधियां करने का अधिदेश दिया गया है।

iii. **"राज्य"** से बिहार सरकार अभिप्रेत होगा।

iv. **"बिहार राज्य सीएसआर पोर्टल"** से बिहार राज्य में सीएसआर को सुविधाजनक बनाने के लिए एक डिजिटल सीएसआर प्लेटफॉर्म अभिप्रेत होगा।

v. **"सीएसआर"** से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के तहत यथावर्णित कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व अभिप्रेत होगा।

vi. **"सीएसआर सोसाइटी"** से सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के तहत बिहार राज्य कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) सोसाइटी रजिस्ट्रीकृत इकाई अभिप्रेत होगा, जिसे बिहार राज्य में सीएसआर पहलों और संसाधनों के मार्गदर्शन, प्रबंधन और सुविधा प्रदान करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में अभिहित किया गया है।

vii. **"विभाग"** से बिहार सरकार का विभाग अभिप्रेत होगा।

viii. **"सीएसआर निधि"** उस राशि से अभिप्रेत होगी जिसे कंपनी सामाजिक रूप से जिम्मेदार गतिविधियों पर खर्च करने के लिए अलग रखती है, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के तहत अधिदेशित है या कंपनियों और अन्य हितधारकों (कंपनियों के अलावा) द्वारा सीएसआर गतिविधियों के लिए स्वैच्छिक रूप से योगदान दिया जाता है।

ix. **"दाताओं"** का तात्पर्य उन कंपनियों, व्यक्तियों या अन्य इकाइयों से होगा जो या तो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के तहत अनिवार्य रूप से, या स्वैच्छिक आधार पर नीति के तहत सीएसआर परियोजनाओं या विकास पहलों में वित्तीय रूप से योगदान करते हैं।

x. **"कार्यान्वयन एजेंसी"** कंपनी (सीएसआर नीति) नियमावली, 2014 के नियम 4(1) में यथा परिभाषित ।

xi. **"प्राथमिकता क्षेत्र"** से तात्पर्य उन प्रमुख फोकस क्षेत्रों से है जिन्हें राज्य द्वारा लक्षित पहलों और संवर्धित सीएसआर वित्त पोषण के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 में उल्लेखित सीएसआर ढांचे के अनुसार पहचाना जाता है।

xii. **"अनुमोदित परियोजनाओं"** से सीएसआर वित्तपोषण प्राप्त करने के लिए सीएसआर सोसाइटी द्वारा अनुमोदित परियोजनाएँ अभिप्रेत होगा।

xiii. **"अन्य इकाइयों"** से कंपनियों एवं व्यक्तियों के अलावा अन्य इकाइयाँ अभिप्रेत होंगी।

6 नीति के उद्देश्य

i. सीएसआर पहल के माध्यम से बिहार के सामाजिक और आर्थिक विकास में सक्रिय रूप से योगदान करने के लिए कंपनियों को प्रोत्साहित करना।

ii. यह मार्गदर्शन प्रदान करना कि सभी सीएसआर गतिविधियां सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) सहित राष्ट्रीय और बिहार की विकासात्मक प्राथमिकताओं के अनुरूप हों।

iii. स्पष्ट और सहायक व्यवस्थाओं के साथ सीएसआर फंड के सही उपयोग को सुगम और मार्गदर्शित करना।

iv. समय–समय पर यथासंशोधित मौजूदा अधिनियम, दिशा–निर्देशों और विनियमों के अनुपालन हेतु मार्गदर्शन प्रदान करना।

v. कंपनियों, सरकारी एजेंसियों, शिक्षाविदों, गैर सरकारी संगठनों और स्थानीय समुदायों के बीच मजबूत साझेदारी और सहयोगात्मक संबंधों को बढ़ावा देना ।

vi. बिहार की सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करने के लिए सीएसआर पहलों में नवाचार और मापनीयता को बढ़ावा देना।

vii. बिहार में सीएसआर के माध्यम से कंपनियों को रणनीतिक निवेश करने में सुविधा प्रदान करने के लिए एक ढाँचा विकसित करना।

viii. रोजगार सृजन के लिए निजी क्षेत्र की शक्ति का उपयोग करना तथा बिहार के आर्थिक विकास से संबंधित विशिष्ट समस्याओं का समाधान करना।

7 नीति की प्रयोज्यता

यह सीएसआर नीति निम्नलिखित पर लागू होगी:

क) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के दायरे में आने वाली सभी कंपनियाँ।

ख) स्वैच्छिक योगदानकर्ता, जिनमें कम्पनियाँ (पैरा 7(क) में उल्लिखित को छोड़कर), व्यक्ति और अन्य इकाइयाँ शामिल हैं, जो नीति के तहत राज्य में विकासात्मक पहलों को स्वैच्छिक समर्थन देने का विकल्प चुनते हैं।

नीति की प्रयोज्यता सरकार की भागीदारी की प्रकृति के आधार पर निम्नलिखित प्रकार की परियोजनाओं तक बढ़ाई जा सकती है:

i. **सरकार द्वारा संचालित परियोजनाएँ:** इसमें वे परियोजनाएँ शामिल हैं जिनमें सरकार निम्नलिखित गतिविधियों में से कम से कम एक में शामिल है: वित्तपोषण, कार्यान्वयन, समीक्षा और अनुश्रवण, या संचालन। परियोजना एक मौजूदा सरकारी स्कीम या एक नई परियोजना हो सकती है। सीएसआर निधियों का उपयोग उन परियोजनाओं को शुरू करने के लिए किया जा सकता है जो मौजूदा सरकारी स्कीमों के साथ पूरक या संरेखित हैं, जिससे सरकारी बजट में सीधे योगदान किए बिना उनकी प्रभावशीलता और पहुंच बढ़ जाती है।

ii. **कंपनी–नेतृत्व वाली परियोजनाएँ:** इस श्रेणी में वे परियोजनाएँ शामिल हैं, जहां कंपनियां वित्तपोषण, कार्यान्वयन, समीक्षा, अनुश्रवण या संचालन में सरकार की किसी भी भागीदारी के बिना स्वतंत्र रूप से अपनी सीएसआर निधि का उपयोग करती हैं।

iii. **विभिन्न हितधारकों के बीच सहयोगात्मक परियोजनाएँ:** इस श्रेणी में वे परियोजनाएँ शामिल हैं जहाँ कंपनियाँ अपनी सीएसआर निधि का उपयोग करने के लिए विकास संस्थाओं (जैसे नाबार्ड, सिडबी आदि), गैर सरकारी संगठनों, अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों, शिक्षाविदों, सामुदायिक समूहों या अन्य संगठनों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ साझेदारी कर सकती हैं। ये परियोजनाएँ प्रभाव को अधिकतम करने और विशिष्ट सामाजिक विकास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न

हितधारकों की विशेषज्ञता और संसाधनों का लाभ उठाती हैं। परियोजना की प्रकृति और उद्देश्यों के आधार पर सरकार की भागीदारी का स्तर अलग–अलग हो सकता है।

iv. **कार्यान्वयन एजेंसी के नेतृत्व वाली परियोजनाएँ** (कार्यान्वयन एजेंसी में सोसाइटी, न्यास, धारा–8 कंपनियाँ, सांविधिक निकाय शामिल हैं) : इस श्रेणी में वे पहल शामिल हैं जहां कार्यान्वयन एजेंसी स्वायत्त रूप से सीएसआर पहलों को कार्यान्वित करती है।

यह व्यापक प्रयोज्यता सुनिश्चित करती है कि नीति, विविध परियोजनाओं और पहलों को पूरा कर सके, सरकार और कंपनियों के बीच सहयोग को बढ़ावा दे सके, साथ ही कंपनियों के नेतृत्व में स्वतंत्र सीएसआर परियोजनाओं की भी अनुमति दे सके।

8 सीएसआर निधि के दाता/स्रोत

मौजूदा कानूनी ढाँचे के अनुसार सीएसआर वित्तपोषण के स्रोतों में शामिल हैं:

i. **कंपनी** : ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान निम्नलिखित मानदंडों में से किसी एक को पूरा करने वाली कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(1) सहपठित कंपनी (सीएसआर नीति) नियमावली, 2014 के तहत विनिर्दिष्ट सीएसआर प्रावधानों का अनुपालन करना आवश्यक है:

- 500 करोड़ रुपये या उससे अधिक की वार्षिक निवल संपत्ति
- 1000 करोड़ रुपये या उससे अधिक का वार्षिक कारोबार (टर्नओबर)
- 5 करोड़ रुपये या उससे अधिक का शुद्ध लाभ

इन कम्पनियों को पिछले तीन वित्तीय वर्षों के अपने औसत शुद्ध लाभ का 2 % सीएसआर गतिविधियों पर खर्च करना होगा।

ii. **व्यक्ति और अन्य इकाइयाँ:** कंपनियों के अलावा कोई भी व्यक्ति या इकाई इस नीति के माध्यम से राज्य और समाज के विकास में स्वेच्छा से योगदान दे सकती है। राज्य क्राउडफंडिंग के माध्यम से व्यक्तियों से धन प्राप्त करने की पहल भी कर सकती है। प्रस्तावित सीएसआर पोर्टल में ऐसे व्यक्तियों के पंजीकृत को सुगम बनाने हेतु एक समर्पित प्रणाली होगा।

9 सीएसआर निधि के प्राप्तकर्ता

बिहार में सीएसआर निधि के प्राप्तकर्ताओं में, हालांकि यह समावेशी है परंतु संपूर्ण नहीं है, निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:

i. **सरकारी इकाइयाँ:** बिहार सरकार की प्रासंगिक इकाइयाँ जो सीएसआर–1 प्रमाणपत्र प्राप्त कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में विकासात्मक और कल्याणकारी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में लगी हुई हैं।

ii. **बिहार राज्य कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) सोसाइटी:** बिहार राज्य सीएसआर सोसाइटी की स्थापना एक कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में अनुमोदित गतिविधियों के लिए सीएसआर निधियों के संग्रह, आवंटन और प्रबंधन के लिए की गई है।

iii. **कार्यान्वयन एजेंसी:** कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार कार्यान्वयन एजेंसी सीएसआर निधि प्राप्त कर सकती है, बशर्ते वह फॉर्म सीएसआर–01 के माध्यम से कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) के साथ रजिस्ट्रीकृत हो।

10 सीएसआर निधि का अनुप्रयोग

यह नीति बिहार में निम्नलिखित परियोजनाओं के माध्यम से सीएसआर निधियों के रणनीतिक और प्रभावी उपयोग हेतु स्पष्ट मार्गदर्शन और सहयोग प्रदान करने का उद्देश्य रखती है:

i. **सीएसआर द्वारा पूर्ण रूप से वित्तपोषित नई परियोजनाएँ :** कंपनियाँ स्वतंत्र रूप से या कार्यान्वयन एजेंसियों के सहयोग से नई सीएसआर परियोजनाओं या स्कीमों को पूर्ण रूप से वित्तपोषित कर सकती हैं, जैसा कि सीएसआर नियमों के तहत परिभाषित किया गया है। सरकारी इकाइयाँ खरीद, कार्यान्वयन, अनुश्रवण या संचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) सहित गतिविधियों को सुविधाजनक बनाकर ऐसी पहलों का समर्थन कर सकती हैं, बशर्ते ये गतिविधियाँ किसी ऐसी परियोजना का हिस्सा हों जो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के तहत सीएसआर गतिविधि के रूप में योग्य हो। परिसंपत्तियों का स्वामित्व और निष्पादन सीएसआर नियमों के अनुपालन में रहना चाहिए और इसे सरकारी कोष में योगदान नहीं माना जाना चाहिए।

ii. **सीएसआर द्वारा आंशिक रूप से वित्तपोषित नई परियोजनाएँ :** कंपनियाँ नई सीएसआर परियोजनाओं या स्कीमों को आंशिक रूप से वित्तपोषित कर सकती हैं, बशर्ते कि पूरी परियोजना – वित्त पोषण स्रोत की परवाह किए बिना – कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के तहत सीएसआर गतिविधि के रूप में योग्य हो। शेष परियोजना लागत को सरकारी इकाई द्वारा स्वीकृत निधियों के माध्यम से या वित्त पोषण के वैकल्पिक स्रोतों की पहचान करके और उन्हें सुरक्षित करके पूरा किया जा सकता है। हालाँकि, सीएसआर योगदान का उपयोग पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से किया जाना चाहिए, और कंपनी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि परियोजना का उसका हिस्सा सीएसआर नियमों के अनुसार कार्यान्वित किया जाए, जिसमें उचित अनुश्रवण, रिपोर्टिंग और पात्र कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से निष्पादन शामिल है, यदि लागू हो।

iii. **पूरक वित्तपोषण :** सीएसआर निधि का उपयोग ऐसी परियोजनाएँ शुरू करने के लिए किया जा सकता है जो मौजूदा सरकारी योजनाओं के पूरक या संरेखित हों, जिससे सरकारी बजट में सीधे योगदान किए बिना उनकी प्रभावशीलता और पहुंच में वृद्धि हो।

iv. **परियोजनाओं का रखरखाव** : सीएसआर निधि का उपयोग मौजूदा या नई स्थापित परियोजनाओं के संचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) के लिए किया जा सकता है, बशर्ते रखरखाव गतिविधि स्वयं कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के तहत सीएसआर गतिविधि के रूप में योग्य हो। इस तरह के वित्तपोषण को कंपनी द्वारा अपने सीएसआर दायित्व के हिस्से के रूप में शुरू या समर्थित किसी परियोजना से सीधे जोड़ा जाना चाहिए और सरकारी कार्यों या बुनियादी ढांचे में सामान्य योगदान नहीं होना चाहिए। कंपनी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि रखरखाव सीएसआर नियमों के अनुपालन में किया जाता है, जिसमें उचित अनुश्रवण, दस्तावेज़ीकरण और प्रकटीकरण शामिल है।

v. **समग्र विकास के लिए अंगीकरण:** कंपनियाँ सरकारी विद्यालयों, अस्पतालों, गाँवों या अन्य संस्थाओं को अंगीकार करके उनका समग्र विकास कर सकती हैं, बशर्ते कि की जाने वाली गतिविधियाँ कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के दायरे में आती हों। विकास पहलों में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छता, आजीविका, बुनियादी ढाँचा और पर्यावरणीय स्थिरता जैसे क्षेत्रों में हस्तक्षेप शामिल हो सकते हैं। प्रत्येक गतिविधि को एक स्वीकार्य सीएसआर गतिविधि के रूप में योग्य होना चाहिए, और कंपनी को सीएसआर नियमों के अनुसार पात्र तरीकों, उचित अनुश्रवण और पारदर्शी रिपोर्टिंग के माध्यम से कार्यान्वयन सुनिश्चित करना चाहिए। अंगीकरण को परिभाषित परिणामों के बिना सरकारी

जिम्मेदारियों या परिसंपत्तियों के सामान्य वित्तपोषण के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।

vi. **तकनीकी सहायता और मानव संसाधन सहायता :** कंपनियाँ तकनीकी सहायता प्रदान करके और समर्पित मानव संसाधन तैनात करके नई या मौजूदा सरकारी परियोजनाओं का समर्थन कर सकती हैं, बशर्ते कि ऐसा समर्थन सीधे किसी परियोजना या गतिविधि से जुड़ा हो जो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के तहत सीएसआर गतिविधि के रूप में योग्य हो। सहायता को इस तरह से संरचित किया जाना चाहिए कि योगदान – चाहे कुशल जनशक्ति, विशेषज्ञ परामर्श या तकनीकी जानकारी के रूप में हो – सीएसआर के दायरे में मापने योग्य परिणाम दे। इस तरह के समर्थन को सीएसआर नियमों के अनुपालन में लागू किया जाना चाहिए, और खर्च (जैसे, तैनात कर्मचारियों का वेतन, परामर्श शुल्क) को केवल उस सीमा तक सीएसआर व्यय माना जा सकता है, जब तक कि वे विशेष रूप से सीएसआर उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाते हैं और उचित रूप से प्रलेखित होते हैं।

vii. **विविध समर्थन :** कंपनियाँ विविध परियोजनाएं शुरू कर सकती हैं या उपरोक्त श्रेणियों में विशेष रूप से शामिल नहीं की गई पहलों को समर्थन दे सकती हैं, बशर्ते कि प्रत्येक गतिविधि कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के दायरे में आती हो। प्रत्येक गतिविधि को स्पष्ट रूप से परिभाषित, मापने योग्य होना चाहिए, और पारदर्शिता और प्रभाव आकलन सुनिश्चित करने के लिए उचित अनुश्रवण, रिपोर्टिंग और दस्तावेज़ीकरण के साथ पात्र कार्यान्वयन भागीदारों के माध्यम से सीएसआर नियमों के अनुपालन में कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

बिहार की विकासात्मक प्राथमिकताओं के साथ संरेखण सुनिश्चित करने के लिए कंपनियाँ, कंपनी अधिनियम 2013 में सीएसआर के प्रावधानों, सीएसआर

दिशानिर्देशों और भारत सरकार के कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अन्य आदेशों के साथ संरेखण और अनुपालन में सीएसआर निधियों के उपयोग के लिए क्षेत्रों, लाभार्थियों, भौगोलिक क्षेत्रों और अन्य प्राथमिकताओं को निर्दिष्ट कर सकती हैं।

11 संस्थागत ढाँचा

नीति के प्रभावी कार्यान्वयन और अनुश्रवण को सुनिश्चित करने के लिए एक सहायक शासन संरचना स्थापित की जा रही है। इस ढांचे का उद्देश्य सीएसआर पहलों के निर्बाध निष्पादन को सुविधाजनक बनाना, पारदर्शिता को बढ़ावा देना और प्रभावशाली परिणाम प्राप्त करना है। इस संस्थागत ढाँचे के प्रमुख घटकों में शामिल हैं:

11.1 बिहार राज्य कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) सोसाइटी:

सीएसआर सोसाइटी, "सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860" के तहत रजिस्ट्रीकृत एक कानूनी इकाई होगी। सीएसआर सोसाइटी में बिहार सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक शासी निकाय होगा और इसमें सीएसआर सोसाइटी के कार्यों की देखरेख करने के लिए सरकारी अधिकारी शामिल होंगे। सीएसआर सोसाइटी मुख्य रूप से सीएसआर परियोजनाओं के सुविधाकर्ता, अनुमोदनकर्ता या कार्यान्वयनकर्ता की भूमिका निभाएगी।

11.1.1 "बिहार राज्य कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) सोसाइटी" के शासी निकाय का गठन निम्न रूप में है :

क्र०सं०	पदनाम	सदस्य
1.	अध्यक्ष	मुख्य सचिव, बिहार सरकार
2.	उपाध्यक्ष	विकास आयुक्त, बिहार सरकार

3.	सदस्य सचिव	प्रधान सचिव, वित्त विभाग
4.	सदस्य	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव
4.1.	सदस्य	स्वास्थ्य विभाग
4.2.	सदस्य	शिक्षा विभाग
4.3.	सदस्य	समाज कल्याण विभाग
4.4.	सदस्य	पथ निर्माण विभाग
4.5.	सदस्य	ग्रामीण कार्य विभाग
4.6.	सदस्य	योजना एवं विकास विभाग
4.7.	सदस्य	जल संसाधन विभाग
4.8.	सदस्य	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
4.9.	सदस्य	उद्योग विभाग
4.10	सदस्य	नगर विकास एवं आवास विभाग
4.11	सदस्य	कृषि विभाग
4.12	सदस्य	ग्रामीण विकास विभाग
4.13	सदस्य	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग
4.14	सदस्य	भवन निर्माण विभाग
4.15	सदस्य	ऊर्जा विभाग
4.16	सदस्य	पर्यटन विभाग
4.17	सदस्य	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
4.18	सदस्य	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
4.19	सदस्य	वाणिज्य कर विभाग
4.20	सदस्य	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग
4.21	सदस्य	श्रम संसाधन विभाग

11.1.2 कार्यकारिणी समिति की अध्यक्षता वित्त विभाग के प्रधान सचिव करेंगे तथा इसमें शासी निकाय के सदस्यों में से कुछ चयनित पदाधिकारी (संयुक्त सचिव के पद से नीचे नहीं) शामिल होंगे।

11.1.3 कार्यकारिणी समिति का सदस्य सचिव सीएसआर सोसाइटी का मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी (सीईओ) होगा और उसे वित्त विभाग के प्रधान सचिव द्वारा इस अनुबंध के साथ नामित किया जाएगा, कि नामित व्यक्ति का पद विशेष सचिव से नीचे का नहीं होना चाहिए।

11.2 बिहार राज्य कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) सोसाइटी का उद्देश्य

क) सीएसआर व्यवस्था पर पर्याप्त स्पष्टता लाना।

ख) राज्य में सीएसआर परिस्थितिकी तंत्र को सशक्त बनाने हेतु आवश्यकतानुसार नियमों, दिशा–निर्देशों और रूपरेखाओं के विकास को सुगम बनाना।

ग) पात्र सीएसआर दाताओं जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के सरकारी क्षेत्र उपक्रमों, कंपनियों, व्यक्तियों आदि से योगदान के साथ सीएसआर निधि का निर्माण और चैनलाइज़ेशन तथा एक सतत और सहायक तंत्र के माध्यम से नई कंपनी अधिनियम, 2013 और कंपनी (सीएसआर नीति) नियमावली, 2014 के प्रावधानों के अनुसार सीएसआर गतिविधियों के लिए सीएसआर निधि का उपयोग।

घ) राज्य विकास प्राथमिकताओं और कंपनी अधिनियम की अनुसूची–VII के साथ संरेखित परियोजनाओं की एक सूची तैयार करना। सीएसआर हितधारकों को चयनित परियोजनाओं को राज्य के सीएसआर पोर्टल पर सूचीबद्ध करने में सुविधा प्रदान करना।

ङ) नोडल और कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में प्रभावी सीएसआर कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करना, कंपनियों को राज्य की प्राथमिकताओं के अनुरूप

परियोजना पहल डिजाइन करने के लिए मार्गदर्शन करना। सुव्यवस्थित निष्पादन के लिए पूर्व–पहचाने गए "परियोजनाओं का संग्रह" तक पहुँच प्रदान करना।

च) जटिल सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय चुनौतियों और मुख्य फोकस क्षेत्रों को संबोधित करने के लिए नवीन और टिकाऊ सीएसआर प्रथाओं को प्रोत्साहित करना।

छ) साझा विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कंपनियों, सरकारी एजेंसियों और गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ) के बीच साझेदारी को सुविधाजनक बनाना।

ज) असाधारण सीएसआर योगदान के लिए सीएसआर दाताओं और कार्यान्वयन एजेंसियों को मान्यता देना और पुरस्कृत करना।

झ) जिला स्तरीय सीएसआर समिति/सलाहकार बोर्ड का गठन सुनिश्चित करना तथा मार्गदर्शन हेतु भेजे गए विषय–वस्तु का अनुश्रवण करना एवं उनका मार्गदर्शन करना।

12 बिहार राज्य सीएसआर पोर्टल

हितधारकों के हितों के अभिसरण, पारदर्शिता और निर्बाध सूचना प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए, बिहार सरकार के वित्त विभाग द्वारा बिहार सीएसआर पोर्टल नामक एक समर्पित सीएसआर पोर्टल विकसित किया जाएगा और उसे चालू किया जाएगा। बिहार राज्य सीएसआर पोर्टल की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- सभी स्वीकृत परियोजनाओं की मेजबानी
- दानदाताओं, कार्यान्वयन एजेंसियों एवं सरकारी विभागों/एजेंसियों का पैनलीकरण
- सीएसआर कार्यक्रम के आयोजन एवं संचालन को सुगम बनाना
- सीएसआर सेल पर जानकारी

- प्रबंधन सूचना प्रणाली
- विभिन्न दस्तावेजों, ज्ञान बैंक की मेजबानी

13 हितधारक एवं जिम्मेदारियाँ

इस नीति के अंतर्गत हितधारकों की निम्नलिखित भूमिकाओं और जिम्मेदारियों पर विचार किया जाएगा।

13.1 दाता

- पोर्टल पर दाता के रूप में पंजीकृत करना ।
- सीएसआर निधि सहायता प्रदान करना, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करना, परियोजनाओं की सूची तैयार करना, परियोजनाओं का संग्रह से उपयुक्त परियोजनाओं का चयन करना तथा कार्यान्वयन एजेंसियों का चयन करना।
- सीएसआर पोर्टल पर रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का उपयोग कर पारदर्शिता सुनिश्चित करना।

13.2 कार्यान्वयन एजेंसी

- कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में पोर्टल पर पंजीकृत करना।
- परियोजनाओं का संग्रह के अंतर्गत परियोजनाओं की सूची तैयार करना
- सीएसआर पोर्टल के माध्यम से हितधारक संचार।
- दाताओं के दिशा–निर्देशों के अनुसार सीएसआर परियोजनाओं के क्रियान्वयन को सुगम बनाना तथा सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करना।
- सीएसआर पोर्टल पर रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का उपयोग कर पारदर्शिता सुनिश्चित करना।

13.3 सरकारी इकाइयाँ

- सरकारी इकाइयों के रूप में पोर्टल पर पंजीकृत होना।

- पोर्टल पर राज्य प्राथमिकताओं के अनुरूप परियोजनाओं की सूची तैयार करना।
- राज्य में सीएसआर गतिविधियों को सुचारू रूप से निष्पादित करने के लिए सीएसआर सोसाइटी, दाता और कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए सुविधाप्रदाता/अनुमोदक की भूमिका निभाना।
- डिजिटल उपकरणों के माध्यम से हितधारक समन्वय का समर्थन करना, प्रगति को सुविधाजनक बनाना और पारदर्शिता को बढ़ावा देना।
- सीएसआर पोर्टल पर रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का उपयोग कर पारदर्शिता सुनिश्चित करना।

13.4 बिहार राज्य कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) सोसाइटी

सीएसआर सोसाइटी मुख्य रूप से नई कंपनी अधिनियम, 2013 और कंपनी (सीएसआर नीति) नियमावली, 2014 के प्रावधान के अनुसार बिहार राज्य में सीएसआर परियोजनाओं और गतिविधियों के सुविधाप्रदाता, अनुमोदक, कार्यान्वयनकर्ता की भूमिका निभाएगी।

14 परियोजना का संग्रह का निर्माण :

इस नीति के अंतर्गत, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अंतर्गत पात्र कंपनियाँ, कार्यान्वयन एजेंसियाँ, सरकारी संस्थाएँ और नामित सीएसआर सोसाइटी, पोर्टल पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप का उपयोग करते हुए सीएसआर परियोजनाओं का प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकती है। संबंधित विभाग और सीएसआर सोसाइटी, चयनित परियोजनाओं को "परियोजना संग्रह" अनुभाग के अंतर्गत सीएसआर पोर्टल पर अपलोड करने की सुविधा प्रदान करेंगे, जिससे वे सीएसआर निवेश के लिए उपलब्ध हों। सीएसआर सोसाइटी, सीएसआर परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु दाता और कार्यान्वयन एजेंसी के बीच समन्वय की सुविधा प्रदान करेगी।

15 कार्यान्वयन ढाँचा

15.1 चरण 1: नींव निर्माण

सीएसआर सोसाइटी की स्थापना एक स्पष्ट रूप से परिभाषित अधिदेश के साथ की जाएगी, जिसमें एक मजबूत शासन संरचना और व्यापक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) शामिल होगी। यह सीएसआर सोसाइटी राज्य के भीतर सभी सीएसआर गतिविधियों की देखरेख और सुविधा के लिए जिम्मेदार होगी। इसे प्राप्त करने के लिए, निम्नलिखित कदम उठाए जाएंगे :

i. जैसा कि ऊपर पैरा 12 में उल्लेख किया गया है, एक उपयोगकर्ता–अनुकूल ऑनलाइन सीएसआर पोर्टल विकसित किया जाएगा जो सूचना प्रसार, उपयोगकर्ता, परियोजना पंजीकरण और रिपोर्टिंग तथा हितधारक संचार के लिए एक केंद्रीकृत केंद्र के रूप में कार्य करेगा।

ii. सीएसआर सोसाइटी द्वारा सरकारी अधिकारियों, कंपनी प्रतिनिधियों और गैर सरकारी संगठनों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे ताकि जागरूकता बढ़ाई जा सके और नीति ढांचे और सर्वोत्तम प्रथाओं की गहरी समझ को बढ़ावा दिया जा सके।

15.2 चरण 2: परिचालन और आउटरीच

इस चरण में सीएसआर ढांचे को क्रियान्वित करने और पूरे राज्य में इसकी पहुंच बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। **निम्नलिखित कार्य किए जाएंगे:**

i. इस नीति के दायरे में आने वाले सभी हितधारकों को सीएसआर पोर्टल पर पंजीकृत किया जा सकेगा। इन हितधारकों को पोर्टल के प्रभावी उपयोग के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण और सहायता प्रदान की जाएगी।

ii. पोर्टल पर सभी रजिस्ट्रीकृत हितधारकों के अभिलेख संधारित करने के लिए व्यापक डेटाबेस विकसित किया जाएगा। इन डेटाबेस में संपर्क विवरण, सीएसआर बजट, विशेषज्ञता के क्षेत्र और प्रासंगिक अनुभव जैसी महत्वपूर्ण जानकारी शामिल होगी।

iii. सीएसआर सोसाइटी को प्रदान की गई सीएसआर निधियों के प्रबंधन के लिए मजबूत तंत्र स्थापित किए जाएंगे, जिनमें समर्पित खाते, पारदर्शी संवितरण प्रक्रियाएँ और वित्तीय प्रणालियाँ शामिल होंगी।

15.3 चरण 3: परियोजना कार्यान्वयन और अनुश्रवण सहयोग

इस चरण में राज्य भर में सीएसआर परियोजनाओं के कार्यान्वयन का समर्थन और अनुश्रवण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

निम्नलिखित गतिविधियाँ की जाएंगी:

i. सीएसआर सोसाइटी कंपनियों, कार्यान्वयन एजेंसियों और सरकारी विभागों तथा अन्य संबंधित हितधारकों को नवीन सीएसआर गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करेगी। इस सहायता में परियोजना डिजाइन, प्रौद्योगिकी अपनाने और प्रभाव आकलन पर मार्गदर्शन शामिल होगा।

ii. कम्पनियों को अपनी परियोजनाओं को राज्य के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के साथ संरेखित करने, विस्तृत परियोजना योजनाएं विकसित करने तथा परियोजना कार्यान्वयन को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में सहायता के लिए उपकरण और संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे।

iii. सीएसआर परियोजनाओं की प्रगति और प्रभाव पर नज़र रखने के लिए सीएसआर सोसाइटी द्वारा एक मजबूत सुविधा और मूल्यांकन प्रणाली स्थापित की जाएगी।

15.4 चरण 4: विस्तार और निरंतर सुधार

इस चरण में सीएसआर पहलों के प्रभाव को बढ़ाने और बिहार में सीएसआर ढाँचे में निरंतर सुधार सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। निम्नलिखित उपाय किए जाएंगे:

i. सीएसआर लाभार्थियों की पहचान और ट्रैकिंग के लिए प्रभावी तंत्र विकसित किया जाएगा, ताकि सटीक लक्ष्यीकरण सुनिश्चित किया जा सके और सीएसआर पहलों की पहुंच और प्रभाव को अधिकतम किया जा सके।

ii. सीएसआर पहलों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने, सफलता की कहानियों का प्रसार करने तथा सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक संचार रणनीति लागू की जाएगी।

iii. बिहार राज्य सीएसआर सोसाइटी के लिए कुशल कर्मियों की भर्ती, प्रशिक्षण और विकास के लिए एक योजना तैयार की जाएगी।

iv. बिहार राज्य सीएसआर सोसाइटी हितधारकों के बीच ज्ञान साझा करने, नेटवर्किंग और सहयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए सेमिनार, सम्मेलन और कार्यशालाओं सहित नियमित कार्यक्रम आयोजित करेगी।

16 सद्भावना में की गई कार्यवाही का संरक्षण

i. इस नीति के अंतर्गत या उसके अंतर्गत दिए गए किसी आदेश, कार्यपालक निर्देश अथवा दिशा–निर्देश के अनुसरण में सद्भावना से किए गए या करने का आशय रखने वाले किसी भी कार्य के संबंध में सीएसआर सोसाइटी या इस नीति के क्रियान्वयन में सम्मिलित किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं की जाएगी।

ii. इस नीति के अंतर्गत या उसके अंतर्गत दिए गए किसी आदेश, कार्यपालक निर्देश अथवा दिशा–निर्देश के अनुसरण में सद्भावना से किए

गए या करने का आशय रखने वाले किसी कार्य से उत्पन्न या संभावित क्षति के लिए सीएसआर सोसाइटी या इस नीति के क्रियान्वयन में सम्मिलित किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई वाद या अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं की जाएगी।

iii. बिहार राज्य कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) नीति, 2025 के तहत जो कार्य किए जा रहे है, वह उक्त नीति के तहत आच्छादित माने जायेंगे।

iv. इस नीति के अनुवादित संस्करण के अर्थ और व्याख्या में किसी विसंगति के मामले में अंग्रेजी भाषा संस्करण सभी प्रकार से बाध्यकारी तथा प्रबल होगा।

v. वित्त विभाग, बिहार सरकार द्वारा इस नीति को लागू किया जाएगा।

vi. इस नीति के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु आवश्यक दिशानिर्देश वित्त विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत किए जाएंगे।

vii. यह नीति बिहार राजपत्र में इस नीति की अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रभावी होगी तथा अधिसूचना की तिथि से 5 वर्षों तक प्रभावी रहेगा।

viii. वित्त विभाग को इस नीति के किसी भी प्रावधान की समीक्षा, संशोधन या परिवर्धन करने तथा आवश्यकतानुसार ऐसे संशोधनों के संबंध में अधिसूचना जारी करने का अधिकार प्राप्त होगा।

ix. प्रस्ताव पर राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा दिनांक– 08.07.2025 को मद संख्या– 15 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

11/7/25

(आनन्द किशोर)
प्रधान सचिव
वित्त विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक संख्या:– 08 / एन.बी.एफ.सी.–09 / 2019..1113../ वि., पटना दिनांक..11/07/2025

प्रतिलिपि– अधीक्षक सरकारी मुद्रणालय, गुलजारबाग पटना को आगामी गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित एवं अनुरोध है कि संकल्प की 200 प्रतियाँ वित्त विभाग को उपलब्ध कराई जाए।

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक संख्या:– 08 / एन.बी.एफ.सी.–09 / 2019..1113../ वि., पटना दिनांक..11/07/2025

प्रतिलिपि– मुख्यमंत्री बिहार के प्रधान सचिव / मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी / विकास आयुक्त, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक संख्या:– 08 / एन.बी.एफ.सी.–09 / 2019..1113../ वि., पटना दिनांक..11/07/2025

प्रतिलिपि– सभी अपर मुख्य सचिव / सभी प्रधान सचिव / सभी सचिव / सभी विभागाध्यक्ष, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक संख्या:– 08 / एन.बी.एफ.सी.–09 / 2019..1113../ वि., पटना दिनांक..11/07/2025

प्रतिलिपि– सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिलाधिकारी, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक संख्या:– 08 / एन.बी.एफ.सी.–09 / 2019..1113../ वि., पटना दिनांक..11/07/2025

प्रतिलिपि– आई.टी. प्रबंधक, वित्त विभाग, बिहार, पटना को संकल्प की प्रति विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव